

जरिये ई-मेल
कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था./2025/42

दिनांक : 11.07.2025

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2025/41 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार दिनांक 20.07.2025 के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा, जिला बून्दी की ड्यूटी लगाई गई थी। चूंकि श्री जाकिर हुसैन, आर.जे.एस. का स्थानान्तरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/100/2025 दिनांक 04.07.2025 से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली के पद पर किया गया है। अतः उक्त आदेश में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 20.07.2025 के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्री जाकिर हुसैन, आर.जे.एस. की ड्यूटी लगाई जाती है, जिनके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली, जिला बून्दी के पद पर ज्वाइन करने के पश्चात उक्त रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी। श्री जाकिर हुसैन, आर.जे.एस. के द्वारा ज्वाइन नहीं करने की स्थिति में दिनांक 20.07.2025 के अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में पृथक से आदेश पारित किया जायेगा। शेष रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पूर्ववत लागू होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2025/1514-1523

दिनांक : 11-7-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी.....
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी
- (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.
- (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

11-7-25